

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज0)

क्रमांक:- ~~स्टेनो/प्रशा/167~~

दिनांक :- 23-10-19

-:: कार्यालय आदेश ::-

मैं सीताराम मीना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां एतद्वारा धारा 15(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न तिथियों को आवश्यक प्रकृति के दण्डिक कार्य जैसे बेल, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, मृत्युकालिन कथन आदि हेतु निम्न न्यायिक अधिकारियों का कार्य उनके मुख्यालय पर नियत करता हूँ।

क्र०सं०	पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय का नाम	दिनांक	मोबाईल नं०
1	श्री रोहित सक्सेना आर.जे.एस.	न्यायिक-मजिस्ट्रेट किशनगंज	03.11.2019 व 22.12.2019	9414967750
2	श्री सुरेश कुमार- II आर.जे.एस.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छीपाबड़ोद	09.11.2019 व 10.11.2019	9461879796
3	श्री गौरव शर्मा, आर.जे.एस.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मांगरोल	12.11.2019 व 17.11.2019	8619535755
4	श्री राजेश कुमार मीणा,आर०जे०एस०	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबड़ा	23.11.2019 व 24.11.2019	9414771677
5	श्रीमती नीति वर्मा आर०जे०एस०	न्यायिक-मजिस्ट्रेट अन्ता	01.12.2019, 08.12.2019	9414756052
6	श्रीमती अम्बिका, आर०जे०एस०	अतिरिक्त-न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां	14.12.2019, 15.12.2019	7838984403

प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य के निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां को सूचना दिये अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी विशेष परिस्थितियों में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देते हुए अपना मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

नोट:- उपरोक्त के अलावा संबंधित थानाधिकारी अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, यदि वह अपने मुख्यालय पर मौजूद है, से भी रिमाण्ड आदि ले सकेंगे।

- 51
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां (राज0)

क्रमांक :- 1162

दिनांक :- 24.10.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित कर लेख है कि बारां जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
3. संबंधित अधिकारी श्री.....
4. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां।
5. कोर्ट मैनेजर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय क्षेत्र की Website - ecourts.gov.in/ baran पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां (राज0)